भारत सरकार

गृह मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 675**

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

**स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के लम्बित मामले**

**675. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी:**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेंशन देने के संबंध में स्वतंत्रता सेनानियों के लम्बित मामलों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा लम्बित मामलों को निपटाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को उनके बुढ़ापे में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री किरेन रिजिजू**)

**(क) से (ग): स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने के संबंध में आवेदनों का प्राप्त होना तथा उनका निपटान एक सतत प्रक्रिया है। इस मंत्रालय में स्वतंत्रता सेनानी/उनके पात्र आश्रितों को पेंशन प्रदान करने के संबंध में ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है जो सभी दृष्टिकोण से पूर्ण हो तथा जिसकी विधिवत सिफारिश संबंधित राज्य सरकार द्वारा की गई हो। वर्ष 1972 में योजना के आरंभ होने के बाद में, 1.71 लाख स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों को केन्द्रीय सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है। वर्तमान में लगभग 38,000 जीवित स्वतंत्रता सेनानी/पात्र आश्रित केन्द्रीय सम्मान पेंशन आहरित कर रहे हैं।**

*********